न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 41/2025

राजस्थान सरकार जरिये रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर। ....**प्रार्थी**

बनाम

श्री हरनंद कोली पुत्र श्री नारायण लाल
निवासी वार्ड संख्या 04, रिसाला मण्डी, नसीराबाद, थाना नसीराबाद शहर

.....**अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितः श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी – पैरोकार सरकार

श्री हरनंद कोली अप्रार्थी

आदेश

दिनांक 27.08.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 18.06.2025 को श्री नीरज कुमार जैन, जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) अजमेर मय प्रवर्तन स्टॉफ जिसमें रेणुका चतुर्वेदी प्रवर्तन अधिकारी, श्री अतुल कुमार बडाया प्रवर्तन निरीक्षक एवं श्री मुकेश बुगालिया प्रवर्तन निरीक्षक सम्मिलित है, के साथ रामसर चुंगी नाका सांई बाबा मंदिर के पास नसीराबाद पहुँचे। मौके पर श्री हरनंद कोली पुत्र श्री नारायण लाल निवासी वार्ड संख्या 04, रिसाला मण्डी नसीराबाद की टायर पंचर की दुकान पर 20 लीटर माप के जरिकेन में पेट्रोल रखा मिला, जो नापने पर 10 लीटर था। पुछताछ किये जाने पर दुकानदार श्री हरनंद कोली पुत्र श्री नारायण लाल ने बताया कि वे विजयवर्गीय पेट्रोल पम्प, बेवन्जा इण्डस्ट्रीयल एरिया से पेट्रोल लाकर, एक लीटर–एक लीटर की बोतल में भरकर ग्राहकों को 110/– रूपये प्रति लीटर की दर से ग्राहकों को बेचते है। दुकान में रखा 10 लीटर पेट्रोल जब्त कर नसीराबाद शहर की उचित मूल्य दुकानदार श्रीमती शीतल मित्तल को आगामी आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी में दिया गया, जिसका सुपुर्दगीनामा पृथक से तैयार कर संलग्न है। बिना वैध अनुज्ञप्ति/वैध दस्तावेज/बिना सुरक्षा उपायों के पेट्रोल विक्रय करना मोटर स्प्रिट एवं हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियमन एवं कदाचार की रोकथाम) आदेश 2005 की धारा 02 (R) एवं 04 का उल्लंघन है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब्तशुदा 10 लीटर पेट्रोल को राजसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस चाही गई। पेरोकार सरकार एवं अप्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

जिला कलक्टर
अजमेर

आदालत–
जरिये
कदम
हुक

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 18.06.2025 को श्री नीरज कुमार जैन, जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) अजमेर मय प्रवर्तन स्टॉफ जिसमें रेणुका चतुर्वेदी प्रवर्तन अधिकारी, श्री अतुल कुमार बडाया प्रवर्तन निरीक्षक एवं श्री मुकेश बुगालिया प्रवर्तन निरीक्षक सम्मिलित है, के साथ रामसर चुंगी नाका सांई बाबा मंदिर के पास नसीराबाद पहुॅचे। मौके पर श्री हरनंद कोली पुत्र श्री नारायण लाल निवासी वार्ड संख्या 04, रिसाला मण्डी नसीराबाद की टायर पंचर की दुकान पर 20 लीटर माप के जरिकेन में पेट्रोल रखा मिला, जो नापने पर 10 लीटर था। पुछताछ किये जाने पर दुकानदार श्री हरनंद कोली पुत्र श्री नारायण लाल ने बताया कि वे विजयवर्गीय पेट्रोल पम्प, बेवन्जा इण्डस्ट्रीयल एरिया से पेट्रोल लाकर, एक लीटर–एक लीटर की बोतल में भरकर ग्राहकों को 110/– रूपये प्रति लीटर की दर से ग्राहकों को बेचते है। दुकान में रखा 10 लीटर पेट्रोल जब्त कर नसीराबाद शहर की उचित मूल्य दुकानदार श्रीमती शीतल मित्तल को आगामी आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी में दिया गया, जिसका सुपुर्दगीनामा पृथक से तैयार कर संलग्न है। बिना वैध अनुज्ञप्ति/वैध दस्तावेज/बिना सुरक्षा उपायों के पेट्रोल विक्रय करना मोटर स्प्रिट एवं हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियमन एवं कदाचार की रोकथाम) आदेश 2005 की धारा 02 (R) एवं 04 का उल्लंघन है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब्तशुदा 10 लीटर पेट्रोल को राजसात करने हेतु आदेश प्रदान करे।

अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस में निवेदन किया कि मुझे कानून की जानकारी नहीं थी। भविष्य में उक्त कृत्य नहीं करूंगा। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त फरमावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वरवक्त जांच अप्रार्थी श्री हरनंद कोली पुत्र श्री नारायण लाल निवासी वार्ड संख्या 04, रिसाला मण्डी नसीराबाद की टायर पंचर की दुकान पर 20 लीटर माप के जरिकेन में पेट्रोल रखा मिला, जो नापने पर 10 लीटर था। पुछताछ किये जाने पर दुकानदार श्री हरनंद कोली पुत्र श्री नारायण लाल ने बताया कि वे विजयवर्गीय पेट्रोल पम्प, बेवन्जा इण्डस्ट्रीयल एरिया से पेट्रोल लाकर, एक लीटर–एक लीटर की बोतल में भरकर ग्राहकों को 110/– रूपये प्रति लीटर की दर से ग्राहकों को बेचते है। बिना वैध अनुज्ञप्ति/वैध दस्तावेज/बिना सुरक्षा उपायों के पेट्रोल विक्रय करना मोटर स्प्रिट एवं हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियमन एवं कदाचार की रोकथाम) आदेश 2005 की धारा 02 (R) एवं 04 का उल्लंघन है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये जब्तशुदा 10 लीटर पेट्रोल को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) अजमेर उक्त पेट्रोल का नियमानुसार निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा करावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर,अजमेर